



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072025-264767
CG-DL-E-17072025-264767

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3198]
No. 3198]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2025/आषाढ 26, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2025/ASHADHA 26, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2025

का.आ. 3268(अ).— केन्द्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिवेश अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, खंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 5323(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 5 के समक्ष, स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
“12वें अपर सेशन न्यायाधीश का न्यायालय, रायपुरा”;

(ii) क्रम संख्या 21 के समक्ष, स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"विशेष न्यायालय (सांप्रदायिक दंगे), जयपुर।"

[अधिसूचना सं. 117/2025/फा. सं. 149/144/2015-टीपीएल-भाग(2)]

सैमुअल पिटा, उप सचिव (कर नीति एवं विधान)

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 5323(अ), तारीख 16 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।